

<p>तारीख हुक्म</p>	<p>हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज</p> <p>खेमसिंह जोधा बनाम लो.सू.अ. (तहसीलदार देचू)</p> <p>सू.अ.अ. अपील संख्या 85 / 2022</p>	<p>नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए</p>
<p>30-05-2022</p>	<p>अपीलार्थी खेमसिंह जोधा, पता ग्राम/पोस्ट शिकारपुरा तहसील लूणी जिला जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना-पत्र दिनांक 08.03.2022 में (1) तहसीलदार देचू की माह नवम्बर 2021 की राजकीय कार्य की मासिक सारांश (डायरी) की नियमानुसार प्रमाणित प्रतियां व अन्य बिन्दु, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (तहसीलदार देचू) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई।</p> <p>अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पों.पक्ष (तहसीलदार देचू) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई।</p> <p>हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पों.पक्ष (तहसीलदार देचू) से जरिये पत्रांक 161 दिनांक 06.05.2022 रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया कि अपीलार्थी द्वारा चाही गई सूचना कार्यालय के पत्रांक/आरटीआई/2022/137 दिनांक 01.04.2022 द्वारा डाक द्वारा सूचना प्रेषित कर दी गई थी। चूंकि लोक सूचना अधिकारी की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रेषित की जा चुकी है अतः इस स्टेज पर प्रस्तुत अपील निरस्त योग्य होने से निरस्त की जाती है। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।</p>	

